27/2/26

पत्रावली पेश हो। रिपोर्ट पेश हुई। वकील
वादी उप०। वादी पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया
कि विस्तृत रिपोर्ट अलग से शामिल
किया जावे। डिक्री वास्ते बहस हेतु
पेश हो।

रिपोर्ट [illegible]

GCMS
2025/251

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

ओमप्रकाश बनाम सरकार Gcms:- 2025/251

किस्म मुकदमा :– वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 आर.टी.ए. व 136 एल.आर.एक्ट प्रकरण संख्या :– 128/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
27/02/26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेशी हुई। उभयपक्ष उपस्थित वकील वादी ने वाद पत्र दौहराते हुये बताया कि वादी के नाम से वाके चक 7 एस.जी.आर.'ए' की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 89/79 के पत्थर नं. 12/302 (3) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 हैक. नहरी व पत्थर नं. 12/303 (4) के किला नं. 1/1 ता 25/2 = 5.961 हैक. नहरी इस प्रकार कुल 12.536 हैक. नहरी भूमि में 157/3134 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी का नाम जैरवाद भूमि की जमाबन्दी में रामकुमार उर्फ ओमप्रकाश पुत्र मोखराम अंकित है। जबकि अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, जन आधार कार्ड व पेन कार्ड व इसके अलावा इसी चक 7 एस.जी.आर.'ए' के खाता संख्या 119/123 विरास्तन प्राप्त भूमि में ओमप्रकाश पुत्र मोखराम दर्ज है। जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 89/79 में वादी का नाम रामकुमार उर्फ ओमप्रकाश पुत्र मोखराम अंकित है। जो कि लायक दुरुस्ती के है। वादी को ननिहाल में बचपन में रामकुमार के नाम से पुकारा जाता था। इसलिए बचपन में भूमि खरीद के समय वादी का नाम रामकुमार दर्ज हो गया। दस्तावेजो व जमाबन्दी में अलग अलग नाम होने से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बैंक ऋण आदि में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वादी का पेशा काश्तकारी है। काश्तकारी सम्बन्धि सरकार की ओर से चल रही सहायता नही मिल पाती है। क्योंकि वादी का जमाबन्दी व अन्य दस्तावेज में नाम भिन्न भिन्न है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जावे। प्रतिवादी ने जबाब स्टेट को दौहराते हुये वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये निर्णय करने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 7 एस.जी.आर.'ए' की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 89/79 के पत्थर नं. 12/302 (3) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 हैक. नहरी व पत्थर नं. 12/303 (4) के किला नं. 1/1 ता 25/2 = 5.961 हैक. नहरी इस प्रकार कुल 12.536 हैक. नहरी भूमि में 157/3134 हिस्सा खातेदार रामकुमार उर्फ ओमप्रकाश पुत्र मोखराम अंकित है। वादी के अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड नं. 8105–3605–7474, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्या RJ/02/010/411276, आयकर विभाग जारी कार्ड नं. ADJPO8553E व बैंक पास बुक A/C NO. 39713917258 व जन आधार नं. 4827452581 व सरपंच ग्राम पंचायत संघर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.07.2025 में ओमप्रकाश पुत्र श्री मोखराम जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एसजी.आर.'बी' प्रेमपुरा ढाणी अंकित है। वादी ने ब्यान प्रस्तुत किये है व इसी के साथ पड़ौसी रामनारायण पुत्र नानूराम ने ब्यान प्रस्तुत किये है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपयुक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके चक 7 एस.जी.आर.'ए' की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 89/79 के पत्थर नं. 12/302 (3) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 हैक. नहरी व पत्थर नं. 12/303 (4) के किला नं. 1/1 ता 25/2 = 5.961 हैक. नहरी इस प्रकार कुल 12.536 हैक. नहरी भूमि में 157/3134 हिस्सा खातेदार का नाम रामकुमार उर्फ ओमप्रकाश पुत्र मोखराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र मोखराम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगें। इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena

Date: 2026.02.27 18:38:56 IST

Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

–: पर्चा डिक्री :–

बअदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

बइजलास – भरत जयप्रकाश मीना आई.ए.एस.

ओमप्रकाश पुत्र श्री मोखराम जाति बिश्नोई निवासी 7 एस.जी.आर.'बी' प्रेमपुरा ढाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

– प्रार्थी

बहक

राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व सूरतगढ़।

– अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 आरटीए व 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 128/2025 यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कितई रूबरू मेरे हाजिर वकील वादी श्री बलदेव बिश्नोई एडवोकेट एवं राज पैरोकार राज., सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके चक 7 एस.जी.आर.'ए' की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 89/79 के पत्थर नं. 12/302 (3) के किला नं. 1 ता 25 = 6.325 हैक. नहरी व पत्थर नं. 12/303 (4) के किला नं. 1/1 ता 25/2 = 5.961 हैक. नहरी इस प्रकार कुल 12.536 हैक. नहरी भूमि में 157/3134 हिस्सा खातेदार में वादी का नाम रामकुमार उर्फ ओमप्रकाश पुत्र मोखराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र मोखराम अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष अंकन यथावत् रहेगे। इसीनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

नोज ....x........... मुबलिग ....x........... बाबत् ....x........... खर्चा इस मुकदमें मय शूद्ध बशरह ....x........... कस्दो की पालना ....x...........आज कि तारीख से तारीख बसूलया वो ताकी अदा करे

बसिब्त मेंरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 27/2/26 को जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.27 18:38:56 IST
Reason: SelfAttested

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़)

BJ
(भरत जयप्रकाश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।